Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- सीकर में प्रवर्तन निदेशालय में राहत दिलाने के नाम पर 13 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए आरोपी उत्तम पाण्डेय गिरफ्तार।

जयपुर दिनांक 28 फरवरी 2026, शनिवार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान की स्पेशल यूनिट–द्वितीय, जयपुर द्वारा की गई ट्रैप कार्यवाही में आरोपी **उत्तम पाण्डेय निवासी ग्राम सरई पाण्डेयपुर, पोस्ट बदनापुर, जनपद अयोध्या (उत्तर प्रदेश)** को परिवादी से **13 लाख रुपये** की रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक श्री गोविंद गुप्ता** ने बताया कि परिवादी द्वारा दिनांक 30.12.2025 को एसीबी जयपुर में प्रस्तुत लिखित शिकायत में बताया गया कि वर्ष 2022 में एक निजी कंपनी QFX Pvt- Ltd- में निवेश के संबंध में उसके साथ धोखाधड़ी हुई थी। इस संबंध में आरोपी द्वारा परिवादी से संपर्क कर स्वयं को प्रवर्तन निदेशालय (E.D.) चंडीगढ़ के सहायक निदेशक कार्यालय से संबद्ध बताते हुए उक्त प्रकरण में नाम हटवाने एवं राहत दिलाने के बदले रिश्वत की मांग की गई।

शिकायत के अनुसार आरोपी द्वारा प्रारंभ में 20 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की गई, जिसे बाद में घटाकर 15 लाख रुपये तथा अंततः 13 लाख रुपये लेने पर सहमति व्यक्त की गई।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा शिकायत का सत्यापन करने के उपरांत आज **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री अनिल कयाल** के सुपरविजन में **श्री विजय सिंह, उप अधीक्षक पुलिस**, स्पेशल यूनिट–द्वितीय, जयपुर द्वारा ट्रैप कार्यवाही की गई। ट्रैप के दौरान आरोपी को होटल अशोका, कल्याण सर्किल के पास रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से कुल 13 लाख रुपये की रिश्वत राशि **(02 लाख रुपये नगद एवं 11 लाख रुपये अन्य माध्यम से)** बरामद की गई।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ एवं कार्रवाई जारी है। आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है।